

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम एवं
नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत
(औरंगाबाद / छपरा / सहरसा / सासाराम / हाजीपुर / सिवान / बेतिया / मोतिहारी /
किशनगंज / बक्सर / जहानाबाद / लखीसराय / नवादा / जमुई / अररिया / मधुबनी /
सीतामढ़ी / गोपालगंज / सुपौल / समस्तीपुर / शेखपुरा / मधेपुरा / भभुआ / खगड़िया /
अरवल / बांका / शिवहर / बोधगया / राजगीर / लालगंज / सुल्तानगंज / हवेलीखड़गपुर /
गोगरी जमालपुर / नवगछिया / अमरपुर / वारसलीगंज / झांझा)।

विषय:-

पटना, दिनांक: 15/09/16
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के
अधीन शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय स्थल के प्रचालन और प्रबंधन के संबंध में।

प्रसंग:-

विभागीय पत्रांक- 1978 दिनांक- 12.09.2016 एवं पत्रांक- 2056 दिनांक- 22.09.
2016।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दीनदयाल अंत्योदय
योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अधीन आश्रय स्थल के प्रचालन और
प्रबंधन (Operation & Maintenance) हेतु संशोधित मार्गदर्शिका निर्गत की जा चुकी है। संशोधित
मार्गदर्शिका के अनुसार नगर निकायों में पूर्व से मौजूद एवं निर्माणाधीन आश्रय स्थलों का प्रचालन एवं
प्रबंधन सुनिश्चित की जाय। मार्गदर्शिका के कंडिका-9(iii) के अनुसार नगर निकायों को योजना से
संबंधित त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन विभाग एवं राज्य शहरी आजीविका मिशन को उपलब्ध कराया जाना
है। परन्तु वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च
न्यायालय द्वारा WRIT PETITION (CIVIL) No. 55/ 2003, E. R. KUMAR & ANR में पारित न्यायादेश के
आलोक में एक समिति का गठन किया गया है। समिति राज्य के अधीन निर्मित एवं निर्माणाधीन आश्रय
स्थलों का भौतिक सत्यापन एवं उनके संचालन की समीक्षा करेगी। सुलभ संदर्भ हेतु पारित न्यायादेश
की छायाप्रति संलग्न है। अतः अनुरोध है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर यथाशीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित
करते हुए विभाग को प्रतिवेदित किया जाय:-

1. DAY-NULM योजना के अधीन नगर निकायों द्वारा निर्माण किये जा रहे नये आश्रय स्थल
एवं पूर्व से मौजूद प्रत्येक आश्रय स्थलों/रैन बसरो को विभागीय पत्रांक- 1978 दिनांक-
12.09.2016 एवं पत्रांक- 2056 दिनांक- 22.09.2016 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संशोधित
मार्गदर्शिका के अनुरूप संचालन सुनिश्चित कराया जाय।
2. जिन नगर निकायों द्वारा अबतक पूर्व से निर्मित रैन बसेरों/आश्रय स्थल का
नवीनीकरण/जिर्णोधर नहीं कराया गया है उनका जिर्णोधर 15 दिनों के अन्दर पूरा कराकर
मार्गदर्शिका के अनुरूप ALO/CLF को प्रचालन एवं प्रबंधन हेतु हस्तांतरित किया जाय।

3. DAY-NULM के अन्तर्गत नगर निकायों द्वारा निर्माण कराये जा रहे नये आश्रय स्थल एवं पूर्व से मौजूद आश्रय स्थलों में (शारीरिक रूप से अक्षम/दिव्यांग) लाभार्थियों की सुविधा हेतु मुख्य द्वार के सीढ़ी के साथ एक Ramp (ढलान) का निर्माण सुनिश्चित कराया जाय। यदि पूर्व से निर्मित रैन बसेरों/आश्रय स्थलों में शौचालय एवं किचन आदि की व्यवस्था मार्गदर्शिका के अनुसार नहीं है तो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।
4. संलग्न प्रपत्र में आश्रय स्थल/रैन बसेरों के संचालन की विवरणी एवं आश्रय स्थल का लाभ ले रहे लाभुकों की विवरणी यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध करायी जाय। प्रपत्र में सूचनाओं के संग्रहण हेतु CMMU को लगाया जाय।
5. जिन आश्रय स्थल के निर्माण/जिर्णोधर कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं उनका प्रचालन और प्रबंधन हेतु यदि राशि की आवश्यकता है तो राशि की मांग, व्यय की गयी राशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए की जा सकती है।
6. प्रत्येक आश्रय स्थलों पर एक स्थायी बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जाय जिसपर आश्रय स्थल का नाम एवं पता, प्रभारी ALO/CLF का नाम, आश्रय स्थल में बेड की संख्या, आश्रय स्थल पर दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा, योजना का नाम एवं नगर निकाय का नाम उल्लेखित किया जाय।
7. प्रत्येक आश्रय स्थल पर संशोधित मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या-7.7 के अनुरूप विभिन्न रजिस्ट्रों/लेखों का संधारण सुनिश्चित कराया जाय। साथ ही लाभार्थी पंजिका का संधारण भी सुनिश्चित कराया जाय जिसमें प्रत्येक लाभार्थी की विवरणी का संधारण करना आवश्यक होगा। इस पंजिका के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर आश्रय स्थल का उपयोग करने वालों का लेखा-जोखा त्रैमासिक प्रतिवेदन के साथ विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. आश्रय स्थलों/रैन बसेरा 24X7 घंटे कार्यरत रखा जाय ताकि लाभार्थियों को दिन में भी इसकी सुविधा मिलती रहे।
9. ठंड के मौसम के मद्देनजर यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक आश्रय स्थल के लाभार्थियों के लिए पर्याप्त मात्रा में जलाउ लकड़ी, कम्बल इत्यादि उपलब्ध हों।
10. प्रत्येक आश्रय स्थल के लिए गठित आश्रय स्थल प्रबंधन समिति की पाक्षिक बैठक सुनिश्चित करायी जाय एवं बैठक की कार्यवाही त्रैमासिक प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
11. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- 11028/8/2014-USD-FTS 11611 दिनांक-08.12.2016 की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशित किया जाता है कि संलग्न प्रपत्र-1 एवं 2 में वांछित सूचना भरकर 3 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभरजन,

14/2/2016
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।

948-1

Format for submission of City-wise Expenditure made under Scheme of Shelters for Urban Homeless (SUH) component of Deendayal Antyodaya Yojana- National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM)

Name of the State/UT				
Name of the City/ULB				
Type of Shelter	New Construction	Refurbishment	O&M only	Total
Number of shelters sanctioned				
Over all amount spent as on 30.11.2016 (including State Share) Rs. in Lakh				

[Handwritten mark]

**नगर निकायों के अधीन पूर्व से निर्मित आश्रय स्थल / रैन बसेरा के संचालन एवं रख-रखाव-
(Operation & Maintenance) का प्रतिवेदन का प्रपत्र**

1.	नगर निकाय का नाम	:					
2.	पूर्व से निर्मित आश्रय स्थल का नाम एवं पूरा पता	:					
3.	आश्रय स्थल की क्षमता (बेड की संख्या)	:					
4.	आश्रय स्थल / रैन बसेरा के जीर्णोधार/ मरम्मती हेतु खर्च की गयी राशि	:	रु. _____				
5.	क्या नगर निकाय द्वारा आश्रय स्थल पर बुनियादी उपष्कर (Utensil) उपलब्ध कराया गया है ? यदि हाँ तो उसकी विवरणी :	:	हां / नहीं <u>उपष्कर (Utensil) की विवरणी -</u> _____ _____				
6.	ALO का नाम जिसे संचालन एवं रख-रखाव (Operation & Maintenance) हेतु हस्तांतरित किया गया है एवं हस्तांतरण की तारीख	:	ALO का नाम _____ _____ हस्तांतरण की तारीख _____				
7.	ALO को उपलब्ध करायी गयी राशि एवं ALO का खाता संख्या	:	रु. _____ A/c No. _____				
8.	आश्रय स्थल कर्मी की विवरणी	:	प्रबंधक का नाम _____ <u>केयर टेकर का नाम :</u> 1. _____ 2. _____ 3. _____				
9.	पिछले तीन माह में आश्रय स्थल का लाभ लेने वाले लाभार्थियों की विवरणी: (लाभार्थी पंजिका की छायाप्रति संलग्न करें)	:	माह का नाम	पुरुष लाभार्थियों की संख्या	महिला लाभार्थियों की संख्या	अवयस्क लाभार्थियों की संख्या	कुल लाभार्थियों की संख्या
			सितम्बर				
			अक्तूबर				
			नवम्बर				
			कुल				
10.	अभ्युक्ति (Remarks)	:					

नगर मिशन प्रबंधक.
CMMU (DAY-NULM)

नगर आयुक्त/ नगर कार्यपालक पदाधिकारी